उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 6 | 16-31 मार्च 2025 | ₹ 20/-

सौगात-ए-मोदी योजना पर उर्दू प्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया

- इमारत-ए-शरिया के कार्यालय पर कब्जे का प्रयास
- पाकिस्तान में बलूचों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान
- तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन
- उत्तराखंड में 17 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सौगात-ए-मोदी योजना पर उर्दू प्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया 04
उत्तराखंड में 136 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई 08
इमारत-ए-शरिया के कार्यालय पर कब्जे का प्रयास 11
नवरात्रि में मांस-मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश 13
उत्तराखंड में 17 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा 14

विश्व

पाकिस्तान में बलूचों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान 16
पाकिस्तान में रसूल की तौहीन के आरोप में पांच लोगों को मौत की सजा 18
पाकिस्तान से आठ लाख अफगानों का निष्कासन 19
बांग्लादेश में रोहिंग्या नेता गिरफ्तार 20
हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्र अमेरिका से निष्कासित 21

पश्चिम एशिया

तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन 23
सूडान की राजधानी खार्तूम पर सेना का कब्जा 25
सऊदी अरब में उमरा पैकेज की कीमतों में भारी वृद्धि 27
ईद के दौरान गाजा पर इजरायली हमले 28
नाइजर में मस्जिद पर आतंकवादी हमला 29

सारांश

वक्फ विधेयक का विरोध करने के प्रश्न पर मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया में फूट पड़ गई है। हाल ही में इस संगठन की ओर से वक्फ विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले इस संगठन की अपील पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार किया गया था। गौरतलब है कि इमारत-ए-शरिया मुसलमानों का एक महत्त्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। यह संगठन बिहार, उड़ीसा व झारखंड के मुसलमानों में शरीयत के प्रचार और इसके संरक्षण हेतु सक्रिय है। इसके द्वारा इस क्षेत्र में सैकड़ों मदरसों एवं शरई अदालतों का संचालन किया जाता है। इमारत-ए-शरिया के अमीर-ए-शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी वक्फ विधेयक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सक्रिय हैं। इमारत-ए-शरिया के प्रबंधक मौलाना शिबली अल कासमी ने यह आरोप लगाया है कि इमारत-ए-शरिया के अमीर मौलाना फैसल रहमानी विदेशी नागरिक हैं, इसलिए इसके न्यासी मंडल ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है।

भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के मौके पर देश के 32 लाख मुसलमानों में 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटे हैं। ये किट देश की 32 हजार मस्जिदों के माध्यम से बांटे गए हैं। इस किट में सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, तेल और कपड़े शामिल हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पत्रकारों को बताया कि भविष्य में ऐसे किट ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों में भी बांटे जाएंगे। अधिकांश उर्दू अखबार ने 'सौगात-ए-मोदी' किट के बांटे जाने का विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए देशभर में 'मोदी मित्र' अभियान चलाया गया था।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पंजाबियों और चीनियों के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष दिन-प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण करके अनेक पंजाबी यात्रियों और पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरा पाकिस्तान हिल उठा था। पाकिस्तान की फेडरल सरकार ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता हेतु संघर्षशील बलूचों को सख्ती से कुचलने की घोषणा की है। ताजा समाचारों के अनुसार बलूचिस्तान के कई दर्जन बलूच नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस नरसंहार के खिलाफ बलूच यकजेहती समिति की नेता महरंग बलूच और अन्य बलूच नेताओं ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था। धरना देने वालों को तितर-बितर करने के लिए सेना ने गोली चलाई। इस गोलीबारी में कई लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने महरंग बलूच सहित 200 बलूच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ विश्वभर के अनेक स्थानों में प्रदर्शन हुए हैं।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने विरोधियों को कुचलने के लिए तानाशाही तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में इस्तांबुल के महापौर और देश के लोकप्रिय नेता एक्रेम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहन देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। विपक्षी पार्टी पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी (सीएचपी) ने आगामी चुनाव के लिए इमामोग्लू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनाक्रोश तेजी से भड़क उठा है। एर्दोगान को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, इसलिए वे अपने विरोधियों को सख्ती से कुचल रहे हैं। इसके साथ ही तुर्की में सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन भड़क उठे हैं। इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां तक कि विरोध-प्रदर्शन के समाचारों को कवरेज करने वाले विदेशी पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देशभर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सौगात–ए–मोदी योजना पर उर्दू प्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा रमजान के पवित्र महीने में 32 हजार मस्जिदों के माध्यम से देश के 32 लाख मुसलमानों में 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटी गई है। कहा जाता है कि 'सौगात-ए-मोदी' किट में सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, तेल और कपड़े शामिल हैं। उर्दू मीडिया ने 'सौगात-ए-मोदी' योजना पर जबर्दस्त हमला बोला है।

रोजनामा सहारा (26 मार्च) के अनुसार दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन स्थित गालिब अकादमी में आयोजित एक समारोह में 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटी गई। इस समारोह का आयोजन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया था। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जमाल सिद्दीकी ने 200 जरूरतमंद लोगों को 'सौगात-ए-मोदी' किट वितरीत की। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस अब्बासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएम अकरम, सूफी संवाद अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर असलम, यासिर जिलानी, 'सौगात-ए-मोदी' अभियान के दिल्ली प्रभारी इरफान सलमानी देहलवी आदि मौजूद थे।

जमाल सिद्दीकी ने पत्रकारों को बताया कि भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की नीति पर आगे बढ़ रहा है। इस नीति के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी देश की 32 हजार मस्जिदों के जरिए 32 लाख जरूरतमंद मुसलमानों को 'सौगात-ए-मोदी' किट उपलब्ध कराएंगे। किट में महिलाओं के लिए सलवार-सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता-पजामा, सेवई, खजूर, मेवे, चीनी आदि शामिल हैं। सिद्दीकी ने कहा कि ईस्टर के मौके पर ईसाइयों में भी इसी तरह की किट बांटने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह देश की गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण है।

इंकलाब (26 मार्च) ने कहा है कि भाजपा इस अभियान के जरिए मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है। पार्टी सूफी अभियान के तहत भी मुसलमानों तक पहुंचने का प्रयास कर चुकी है।

रोजनामा सहारा (31 मार्च) ने इस संबंध में एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख का शीर्षक है, "ईद के मौके पर सौगात-ए-मोदी के नाम पर भाजपा की सियासी नौटंकी।" इस लेख में कहा गया है कि 32 लाख मुसलमानों को 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटे जाने पर सरकारी क्षेत्रों और गोदी मीडिया में खुशी व्यक्त की जा रही है। जबकि मुसलमानों ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। मुसलमान शांति और इज्जत के साथ जीने का अधिकार चाहते हैं, जो उनसे छीना जा रहा है। इस लेख में आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहां तक कि उनसे मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना भी छीन ली गई है। इस योजना की मदद से मुस्लिम बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना और गोरक्षा दल जैसे हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के फ्रिज में झांक रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि मुस्लिम होटलों, ढाबों व ठेलों पर क्या बेचा जा रहा है? कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है? वे मोहम्मद अखलाक, पहलू खान या तबरेज अंसारी जैसे लोगों की जान ले रहे हैं। ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहे जुनैद पर भी किसी ने रहम नहीं खाया। सेना के जवान चलती ट्रेन में मुसलमानों को सरकारी गोलियों से भून डालते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहादी, न्यायपालिका जिहाद और न जाने कितने ऐसे जिहादों का झूठा दुष्प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली में मोदी सरकार की नाक के नीचे दंगाई वाहनों में बैठकर आते हैं और मुस्लिम बस्तियों को तबाह करके चले जाते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो दंगाइयों को उकसाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं उन्हें मंत्री बना दिया जाता है।

केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली दिल्ली पुलिस उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त मुस्लिम नौजवानों को झूठे आरोपों में जेलों में बंद कर रही है। उमर खालिद बगैर सुनवाई के चार सालों से जेल में बंद है। इंसाफ के मंदिर से उसे जमानत तक नहीं मिली। दिल्ली की जांबाज पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसती है और वहां के पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्रों की हड्डियां लाठियों से तोड़ देती है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार मुसलमानों को ऐसी सौगातें देती रही है। अब वक्फ (संशोधन) विधेयक का सौगात दिया जाएगा। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या ये सौगातें कम हैं, जो 'सौगात-ए-मोदी' के नाम पर नौटंकी की जा रही है? समाचारपत्र ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी के सूबेदार भी पीछे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के सूबेदार ने मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलवाया। संभल के मुसलमानों को उनके चार बेटों की लाशें सौगात में दी जा चुकी हैं। संभल के मुसलमानों से जेलों में चक्कियां पिसवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के सूबेदार ने इन सौगातों को बांटने वाले 'पहलवान' पुलिस अधिकारी की पीठ थपथपाई है। अब दूसरे पुलिस अधिकारियों की भी लार टपक रही है।

उनमें भी होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले इस 'पहलवान' के रिकॉर्ड को तोड़े और मुसलमानों की चूड़ी कसने में बाजी मारे ताकि वह उत्तर प्रदेश के सूबेदार की नजर में आ जाए। उत्तर प्रदेश का सूबेदार अब दूसरे राज्यों के सूबेदारों का भी आदर्श बन चुका है। उत्तराखंड का सूबेदार भी मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चलाने में किसी से पीछे नहीं है। इस सूबेदार ने तो समान नागरिक संहिता तक को लागू कर दिया है। यह काम स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी आज तक नहीं कर पाए। हरियाणा का सूबेदार भला क्यों पीछे रहता? उसने तुगलकी फरमान जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों की ईद की छुट्टी ही रद्द कर दी। 'सौगात-ए-मोदी' का ढिंढोरा पीटने वालों से सवाल है कि इतनी सारी सौगात मिलने के बाद अब किसी 'सौगात-ए-मोदी' की जरूरत रह गई है?

हमारा समाज (30 मार्च) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, "70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।" संपादकीय में कहा गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गजब करते हैं। 11 सालों तक देश पर शासन करने के बाद अचानक उन्हें ईद के मौके पर मुसलमान याद आए। उनके जमीर ने उन्हें झकझोर दिया कि आखिर वे कब तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जहरीले तीर छोड़ते रहेंगे। कब तक उनके लोग मुसलमानों के घरों में घुसकर उनके फ्रिज टटोलते रहेंगे कि उनमें गाय का गोश्त है या नहीं? कब तक मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे मुसलमानों के कातिलों को सम्मानित करते रहेंगे? कब तक हिंदुओं के धार्मिक जुलूस मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां देते रहेंगे? ऐसे सभी मामलों पर खामोश रहने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने मशवरा दिया या फिर आकाशवाणी हुई कि वे मुसलमानों के लिए एक तोहफे का ऐलान कर दें ताकि मुसलमान उनके सभी अत्याचारों को भूलकर उन्हें अपने गले से लगा लें?

अब मोदी के भक्त उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमने मोदी को गुजरात से उठाकर दिल्ली की गद्दी पर ला बैठाया और एक बार नहीं, बल्कि तीन बार उन्हें प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने का सम्मान दिया। उन्हें विष्णु का अवतार तक बना डाला, लेकिन मोदी को यह ख्याल एक बार भी नहीं आया कि वे हिंदू त्योहारों के मौके पर हमारे लिए भी कोई तोहफे का ऐलान कर दें। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर नरेन्द्र मोदी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी अपने शासनकाल के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। उन्हें न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में मोदी के सबसे बड़े दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प ने उनकी जो गत बनाई है उसे भी पूरी दुनिया ने देखा है। लगे हाथों अमेरिकी मानवाधिकार संगठनों ने अपने देश की सरकार को यह बता दिया है कि नरेन्द्र मोदी अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। अब उन्हें विश्व स्तर पर डैमेज कंट्रोल करने का यही एकमात्र तरीका सूझा कि वे भारत के मुसलमानों के लिए कोई तोहफे का ऐलान कर दें और अमेरिका सहित दुनिया के सभी देशों को यह

हालांकि, यह चुनावी हथकंडा इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है। यह मोदी, शाह और योगी की भाजपा है, जो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की ज्वाला भड़काती है और उन्हें तबाह व बर्बाद करने के लिए कानून बनाती है। एक ओर तो प्रधानमंत्री मोदी सौगात किट बांट रहे हैं। दूसरी ओर, वे वक्फ (संशोधन) विधेयक के जरिए मुसलमानों की संपत्ति हड़प रहे हैं। विचित्र बात है कि मुसलमानों को ईद का तोहफा बांटने वाले प्रधानमंत्री मोदी विवादित फिल्म 'छावा' की खुलकर तारीफ करते हैं, जो देशभर में हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के प्रति नफरत के बीज बो रही है।

संदेश देने की कोशिश करें कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।

सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कदम से मजाक के पात्र नहीं बन गए हैं? क्या भारतीय मुसलमान सिर्फ ईद के मौके पर तोहफा देने के कारण उन्हें माफ कर देंगे? समाचारपत्र ने कहा है कि देश के मुसलमान बार-बार मोदी से यह निवेदन कर रहे हैं कि भाई! तुमने हमें देश की राजनीति से बाहर निकालने का फैसला ही नहीं किया है, बल्कि उसे कार्यान्वित भी किया है। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कौम होने के बावजूद हमें पार्टी का एक टिकट तक नहीं दिया। इसके बावजूद हम खामोश रहे। हमारी मस्जिदें छीनकर उस पर मंदिर बना लिया। फिर भी हम चुप रहे। हमारे शरई मामलों में निरंतर हस्तक्षेप करके हमारी अलग पहचान को मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बावजूद हम चुप रहे। कम-से-कम हमारे पूर्वजों द्वारा वक्फ की गई संपत्ति से तो हमें बेदखल न करो, लेकिन नरेन्द्र मोदी का हर कदम मुस्लिम विरोध पर ही खत्म होता है।

मुंसिफ (28 मार्च) ने अपने संपादकीय में 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटने की आलोचना की है। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या यह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी हथकंडा है?

हिंदुस्तान (29 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब हम यह सोचते हैं कि बेहयाई और घिनौनेपन की सभी सीमाएं पार की जा चुकी हैं तो भाजपा हमें नया जख्म दे देती है। जब यह खबर आई कि भाजपा ईद के मौक पर मुसलमानों को 'सौगात-ए-मोदी' किट बांट रही है तो एक तस्वीर मानसिक पटल पर उभरी कि खून से सने हाथ अपने शिकार के मुंह में मिठाई ठूंस रहा है। भाजपा यह नौटंकी इसलिए कर रही है ताकि उसे कुछ मुसलमानों के वोट मिल सके। अभी तक मुसलमानों में भाजपा की पहुंच नहीं है। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या भाजपा के लोग गरीब मुसलमानों को लाइनों में लगवाएंगे या फिर घर-घर जाकर ये तोहफे बांटेंगे। क्या वे फैजान के घर जाएंगे, जिसे दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रगान गाने के नाम पर पीटा और उसकी मौत हो गई।

हिंदुस्तान (30 मार्च) ने अपने संपादकीय में 'सौगात-ए-मोदी' योजना पर हैरानी प्रकट की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि दीनी मदरसे बंद किए जा रहे हैं। मस्जिदों के नीचे मंदिरों की तलाश की जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर लाखों मुसलमानों को सौगात बांटने का दावा किया जाए तो किसी को भी हैरानी ही होगी। सच्चाई यह है कि मुसलमानों के प्रति भाजपा की नीति और दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भाजपा के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। एक ओर तो 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर, भाजपा की सरकार को ईद की छुट्टी भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें यह कहने का पूरा अधिकार है कि प्रधानमंत्री मोदी की सौगात सिर्फ दिखावा और धोखा है।

रोजनामा सहारा (27 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा का इतिहास मुस्लिम विरोधी नीतियों से भरा हुआ है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने से लेकर समान नागरिक संहिता की वकालत तक मुसलमानों को बार-बार उनकी बुनियादी पहचान और अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की गई है। लव जिहाद, हिजाब पर पाबंदी और गोहत्या के नाम पर मुसलमानों का नामोनिशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब वक्फ और मदरसों को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा 'सौगात-ए-मोदी' के तहत लाखों मुसलमानों को किट बांटने की नौटंकी कर रही है। यह भाजपा की एक सुनियोजित राजनीतिक चाल है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों ने इसे एक राजनीतिक धोखा करार दिया है।

उत्तराखंड में 136 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई

सहाफत (26 मार्च) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 136 मदरसों को सील करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इन मदरसों की फंडिंग की भी जांच की जा रही है। ये मदरसे शिक्षा विभाग या मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं। अधिकतर मदरसे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में 450 पंजीकृत मदरसे हैं। जबकि 500 से अधिक मदरसे बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार उधम सिंह नगर में 64 मदरसे सील किए गए हैं। जबकि देहरादून में 44, हरिद्वार में 26 और पौड़ी गढ़वाल में दो मदरसे सील किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों, मजारों और दरगाहों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अतिक्रमण को हटाने का अभियान जारी रहेगा। प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी मदरसे स्थापित किए गए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि

यह जांच की जा रही है कि ये मदरसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं हैं?

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने जनवरी महीने में मदरसों का सर्वे कराने का अभियान शुरू किया था। तब जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया था कि इन मदरसों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के स्रोतों की भी बारिकी से जांच की जाए। उत्तराखंड जमीयत उलेमा ने सरकार की इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है। हाल ही में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड का दौरा किया और सील किए गए मदरसों के प्रबंधकों से विस्तृत बातचीत की। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने संवाददाताओं को बताया कि सील किए गए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को निकटवर्ती सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने की व्यवस्था की गई है ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न आए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा मूलभूत अधिकारों में शामिल है। हम इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।

रोजनामा सहारा (24 मार्च) के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के निर्देशों की आड़ लेकर राज्य में मदरसों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसके विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। गौरतलब है कि एनसीपीसीआर ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर कहा था कि जिन मदरसों में एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं दी जाती उन्हें फौरन बंद कर दिया जाए और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाया जाए। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि उत्तराखंड सरकार का यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और उन्हें जबरन बंद करवा दिया था। इसके खिलाफ जमीयत उलेमा ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि अंतिम निर्णय होने तक किसी भी मदरसे को बंद न किया जाए और इस संबंध में जो आदेश जारी किए गए हैं उन्हें स्थगित रखा जाए।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जो मदरसे सरकारी अनुदान नहीं ले रहे हैं और वे मुस्लिम समाज द्वारा दिए जाने वाले चंदे से चल रहे हैं उनमें सरकार को

हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मदनी ने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने धर्म और आस्था के अनुसार शिक्षण संस्थानों का संचालन कर सकते हैं।

सहाफत (28 मार्च) ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर-पंजीकृत मदरसों को बंद करने के फैसले की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा ने देश के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों का जीना दूभर कर रखा है। भाजपा शासित प्रदेशों में किसी न किसी बहाने मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है और बुलडोजरों से उनके घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उर्दू और अरबी मदरसों पर हमला बोल दिया है। पिछले दो महीने में राज्य के 136 मदरसों को बंद कर दिया गया है। पिछले एक सप्ताह में देहरादून में 15, विकासनगर में 12 और खटीमा में नौ मदरसों को गैर-कानूनी करार देकर बंद किया जा चुका है। दुख की बात है कि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि मदरसों के खिलाफ सरकार का यह अभियान जारी रहेगा। मुस्लिम संगठनों ने रमजान के पवित्र महीने में की गई इस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित करार दिया है। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में जो मुस्लिम विरोधी अभियान चलाया जा रहा है उसमें अब उत्तराखंड सरकार भी शामिल हो गई है। इससे पहले उत्तराखंड में अनेक दरगाहों व मदरसों को अवैध घोषित करके उन्हें मिट्टी में मिलाया जा चुका है।

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार जमीयत उलेमा ने उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। इस संबंध में लंढौरा कस्बे में जमीयत उलेमा की एक बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती रियासत अली ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार की नीतियां मुस्लिम विरोधी हैं और वह किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को परेशान कर रही है। सरकार ने मदरसों को इस आधार पर बंद किया है कि वे राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। हालांकि, संविधान और कानून में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि मदरसे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 33 जिलों के मदरसों में नियुक्त किए गए 308 अध्यापकों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि इन अध्यापकों को दिए गए वेतन की धनराशि को मदरसों के प्रबंधकों से वसूला जाए। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मदरसों में की गई नियुक्तियों की जांच की जिम्मेवारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डीएस उपाध्याय को सौंपी थी। इस जांच में मदरसों में नियुक्त किए गए 308 अध्यापकों की नियुक्ति अवैध पाई गई है। इनमें से मऊ जिले में 54, बाराबंकी में 28, कानपुर में 21, वाराणसी में 21, बलरामपुर में 18, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर और लखनऊ में 17-17, गाजीपुर में 16, अलीगढ़ में 13 और कौशांबी में 10 अध्यापकों की नियुक्ति अवैध पाई गई है। इसके अतिरिक्त इन मदरसों के प्रबंधकों ने काफी संख्या में अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त किया था। इन्हें वेतन देने के लिए सरकार से 40 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि वसूली गई थी।

इमारत–ए–शरिया के कार्यालय पर कब्जे का प्रयास

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (30 मार्च) के अनुसार मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया में वर्चस्व की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। ताजा समाचारों के अनुसार बिहार पुलिस और प्रशासन की शह पर इस मुस्लिम संगठन के एक धड़े ने बिहार के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत-ए-शरिया के कार्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया। उनके साथ पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद थी। कब्जा करने वाले धड़े ने दावा किया कि इमारत-ए-शरिया के न्यासी मंडल ने इस संगठन के अमीर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को उनके पद से हटा दिया है, इसलिए वे इमारत-ए-शरिया के कार्यालय को अपने नियंत्रण में लेने के लिए आए हैं। फैसल रहमानी के समर्थकों ने दावा किया है कि नीतीश कुमार सरकार के समर्थन से जनता दल (यूनाइटेड) के एक धड़े ने इमारत-ए-शरिया पर धावा बोल दिया है। यह दावा किया गया कि इमारत-ए-शरिया, बिहार, उड़ीसा व झारखंड के न्यासी मंडल ने अहमद वली फैसल रहमानी को उनके पद से हटा दिया है और उनके स्थान पर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को इमारत-ए-शरिया का कार्यकारी अमीर-ए-शरीयत बना दिया है।

मीडिया में यह प्रचार किया गया कि इमारत-ए-शरिया के अमीर फैसल रहमानी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए जदयू उनके स्थान पर नीतीश कुमार के किसी समर्थक को बैठाना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी सरकार के सहयोगी होने के नाते वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। फैसल रहमानी समर्थक गुट ने एक प्रेस रिलीज में दावा किया है कि जदयू के नेताओं की ओर से इमारत-ए-शरिया को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। इस गुट का समर्थन नीतीश कुमार के कुछ नजदीकी नेता अहमद अशफाक करीम, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना शिबली अल कासमी, मौलाना अब्दुर रऊफ आदि कर रहे हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया कि बिहार सरकार इस गुट का समर्थन कर रही है। यह हमला तब हुआ जब पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। इस हमले का लक्ष्य वक्फ विधेयक के खिलाफ मुसलमानों की एकता में दरार डालना है। जदयू की यह हरकत मुसलमानों को विभाजित करने की एक घिनौनी साजिश है।

दूसरी ओर, पुलिस की सहायता से इमारत-ए-शरिया के कार्यालय में दाखिल होने वाले गुट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि इमारत-ए-शरिया के न्यासी मंडल ने कहा है कि अहमद वली फैसल रहमानी विदेशी नागरिक

हैं, इसलिए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। इमारत-ए-शरिया बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि फैसल रहमानी भविष्य में इमारत-ए-शरिया के मामले में कोई फैसला नहीं कर सकते हैं और न ही वे इस संबंध में कोई आदेश जारी कर सकते हैं। मौलाना शिबली अल कासमी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दावा किया कि अब इमारत-ए-शरिया की कोई कार्यकारी समिति नहीं है, जो कार्यकारी समिति थी उसकी अवधि सितंबर 2024 में ही समाप्त हो चुकी है। इसके बाद से कार्यकारी समिति का गठन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि फैसल रहमानी जानबूझकर संगठन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। न ही वे आलम-ए-दीन हैं और न ही वे इस देश के नागरिक हैं। यही कारण है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही उन्हें अपने सचिव के पद से हटा चुका है।

रोजनामा सहारा (30 मार्च) ने दावा किया है कि जदयू समर्थकों ने इमारत-ए-शरिया, बिहार, उड़ीसा व झारखंड के फुलवारी शरीफ स्थित केंद्रीय कार्यालय में कब्जा करने का जो प्रयास किया था वह विफल रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि मौलाना शिबली अल कासमी प्रशासन व सरकार की मदद से इमारत-ए-शरिया पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने खुद को इसका प्रबंधक बताया था। उन्होंने मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को इमारत-ए-शरीया का अमीर घोषित किया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मौलाना शिबली अल कासमी के खिलाफ बलात्कार का एक मुकदमा चल रहा है। सरकार की मदद से इमारत-ए-शरिया पर कब्जा करने के प्रयास के दौरान वहां पर भारी हंगामा हुआ। विस्फोटक स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमारत-ए-शरिया के कार्यालय में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। समाचारपत्र ने कहा है कि पूर्व कार्यकारी प्रबंधक मौलाना शिबली अल कासमी को तीन मार्च को उनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ एक स्थानीय थाने में बलात्कार का एक मुकदमा दर्ज है और वे जमानत पर हैं। इमारत-ए-शरिया के कार्यालय सचिव मौलाना अरशद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि इमारत-ए-शरिया द्वारा वक्फ विधेयक के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उससे बौखलाकर नीतीश गुट ने इमारत-ए-शरिया पर कब्जा करने का प्रयास किया है।

रोजनामा सहारा (30 मार्च) के अनुसार अमीर-ए-शरीयत सैयद फैसल रहमानी ने दावा किया है कि वक्फ विधेयक के समर्थक गुट ने जबरन इमारत-ए-शरिया पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इसे स्थानीय जनता ने विफल बना दिया है और उन्हें पुलिस बल के साथ वहां से भागना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि अगर वक्फ की रक्षा करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार-बार करूंगा।

गौरतलब है कि इमारत-ए-शरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। यह बिहार, उड़ीसा व झारखंड में मुसलमानों के शरिया अधिकारों की

रक्षा करने वाला एक इस्लामिक संस्थान है। इस संस्थान के जिम्मे इस क्षेत्र की सैंकड़ों शरई अदालतें हैं। इस संस्थान ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर वक्फ विधेयक के खिलाफ पटना में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। इमारत-ए-शरिया की अपील पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया था।

नवरात्रि में मांस–मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि नवरात्रि के दौरान मांस-मछली बेचने वाली राज्य की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मांस, मछली, अंडे और गोश्त बेचने वाली दुकानें पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। प्रदेश की इन सभी दुकानों को रामनवमी के दिन भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया है कि रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में 24 घंटे श्रीरामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाएगा। मांस-मछली बेचने वाले लोगों ने अगर अपनी दुकानें बंद नहीं की तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 व 2011 के प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मंदिरों के आसपास शराब की सभी दुकानें भी बंद होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त होटलों और रेस्टोरेंटों में मांस परोसने पर भी पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। खास तौर पर यह पाबंदी केएफसी और मैक्डॉनल्ड्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बिक्री केंद्रों पर सख्ती से लागू की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अलीमुल्लाह खान ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म व आस्था के अनुसार आचरण करने की आजादी देता है, लेकिन सरकार जानबूझकर इसकी धज्जियां उड़ा रही है। जिस तरह से रामनवमी और नवरात्रि के मौके पर मांस-मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसी तरह से रमजान के महीने में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया था? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर व्यक्ति को खाने-पीने की आजादी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार को आम नागरिकों को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए?

इंकलाब (29 मार्च) के अनुसार वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी ने नगर निगम की बैठक में यह फैसला किया है कि नवरात्रि के दौरान नगर में मांस-मछली की दुकानें बंद रखी जाएंगी। नगर निगम ने इस फैसले को लागू करने हेतु 10 मोबाइल टीमों का गठन किया है। ये टीमें शहर का दौरा करेंगी और इस प्रतिबंध का

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। गौरतलब है कि वाराणसी में इससे पहले भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन यह प्रतिबंध केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित था। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ जिले में नौ दिनों तक मांस-मछली की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

उत्तराखंड में 17 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा

कौमी तंजीम (2 अप्रैल) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चार जिलों के कई इस्लामी नामों वाले स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। सरकारी घोषणा के अनुसार हरिद्वार जिले में 10, देहरादून में चार, नैनीताल में दो और उधम सिंह नगर में एक स्थान के नाम में परिवर्तन किया गया है। हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसी जिले के गाजीवाली का नाम आर्य नगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का नाम अंबेडकर नगर, इदरीशपुर का नाम नंदपुर, खानपुर का नाम श्रीकृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर, आसफनगर का नाम देवनारायण नगर और सलेमपुर राजपूताना का नाम बदलकर शूरसेन नगर किया गया है। देहरादून के मियांवाला का नाम रामजीवाला, पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्लापुर का नाम बदलकर दक्षनगर किया गया है। वहीं, नैनीताल के नवाबी रोड़ का नाम अटल मार्ग और पनचक्की से आईटीआई मार्ग का नाम बदलकर गुरु गोलवलकर मार्ग किया गया है। जबकि उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये परिवर्तन जनता की मांग पर किए गए हैं। इससे भारतीय संस्कृति व विरासत में समृद्धि होगी। भाजपा ने राज्य के चार जिलों के 17 स्थानों के नाम बदलने का स्वागत किया है। जबकि कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने यह कदम जनता का ध्यान हटाने के लिए उठाया है।

रोजनामा सहारा (2 अप्रैल) के अनुसार बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड और देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा

निम्नलिखित स्थानों के नाम जनभावनाओं के अनुरूप परिवर्तित किए जाते हैं।

स्थान नाम परिवर्तन सूची

हरिद्वार जिला

ब्लॉक / स्थान का नाम	वर्तमान स्थान का नाम	प्रस्तावित नया नाम
भगवानपुर ब्लॉक	औरंगजेबपुर	शिवाजी नगर
बहादराबाद ब्लॉक	गाजीवाली	आर्य नगर
	चांदपुर	ज्योतिबा फुले नगर
नारसन ब्लॉक	मोहम्मदपुर जट	मोहनपुर जट
	खानपुर कुर्सली	अंबेडकर नगर
खानपुर ब्लॉक	इदरीशपुर	नंदपुर
	खानपुर	श्री कृष्णपुर
रुड़की ब्लॉक	अकबरपुर फाजलपुर	विजयनगर
रुड़की नगर निगम	आसफनगर	देवनारायण नगर
	सलेमपुर राजपूताना	शूरसैन नगर

देहरादून जिला

ब्लॉक / स्थान का नाम	वर्तमान स्थान का नाम	प्रस्तावित नया नाम
देहरादून नगर निगम	मियांवाला	रामजीवाला
विकासनगर ब्लॉक	पीरवाला	केसरी नगर
	चांदपुर खुर्द	पृथ्वीराज नगर
सहसपुर ब्लॉक	अब्दुल्लापुर	दक्षनगर

नैनीताल जिला

ब्लॉक / स्थान का नाम	वर्तमान स्थान का नाम	प्रस्तावित नया नाम
	नवाबी रोड	अटल मार्ग
	पनचक्की से आईटीआई मार्ग	गुरु गोलवलकर मार्ग

उधम सिंह नगर जिला

ब्लॉक / स्थान का नाम	वर्तमान स्थान का नाम	प्रस्तावित नया नाम
	नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी	कौशल्या पुरी

सरकारों द्वारा शहरों और संस्थानों के नाम बदलने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह संकीर्ण राजनीति का परिचायक है।

टिप्पणी: इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला किया गया था। स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश के 100 से अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा व अवध का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना और इसका नाम उत्तरांचल पड़ा। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया। 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। इसी तरह से बंगलौर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया। जबकि पूना का नाम बदलकर पुणे किया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक दर्जन से अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। इसके अतिरिक्त मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया।

उल्लेखनीय है कि नाम बदलने के अभियान की शुरुआत समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने की थी। उनके आंदोलन के कारण अंग्रेज शासकों के नाम पर रखी गई राजधानी दिल्ली की अनेक सड़कों के नाम बदले गए थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के उग्र आंदोलन के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में लगी हुई विदेशी शासकों की चार दर्जन से अधिक प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद प्रशासन ने इन विदेशी शासकों की प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का निर्णय लिया था। खास बात यह है कि लोहिया ने किसी भी मुगल या विदेशी मूल के मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए मार्गों के नाम बदलने का अभियान नहीं चलाया था। बाद में जनसंघ के नेताओं ने विदेशी मूल के सभी शासकों के नामों पर रखे गए मार्गों के नाम बदलने हेतु आंदोलन चलाया था। इसके बाद दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका ने भी विदेशी शासकों के नाम पर रखे गए अनेक मार्गों के नाम बदलने का फैसला किया था। नवंबर 2023 में अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया था।

पाकिस्तान में बलूचों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान

कौमी भारत (26 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी मंत्रिमंडल के निर्देश पर पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है। ताजा समाचारों के अनुसार अब तक 25 बलूचों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मीडिया को बताया कि जब तक बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले देशद्रोहियों की कमर पूरी तरह से नहीं तोड़ दी जाएगी तब तक यह अभियान जारी रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बलूचों ने कराची, हैदराबाद, अटक और लाहौर सहित देश के एक दर्जन स्थानों पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना सुनियोजित तरीके से बलूचों का नरसंहार कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने लगभग तीन हजार बलूचों को अपनी हिरासत में ले लिया है। उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया और न ही उनके खिलाफ किसी थाने में मुकदमा ही दर्ज किया गया है। कराची प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना और गुप्तचर एजेंसियां बंधक बनाए गए बलूच नागरिकों की हत्या करके उनके शवों को बलूचिस्तान के विभिन्न शहरों में सड़कों पर फेंकने की योजना बना रही है ताकि बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वालों को भयभीत और हतोत्साहित किया जा सके।

चट्टान (20 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने छात्रों के उग्र प्रदर्शनों को रोकने हेतु बलूचिस्तान के सभी कॉलेजों और तीन विश्वविद्यालयों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है और इनके छात्रावासों को जबरन खाली करवा लिया गया है।

उर्दू टाइम्स (24 मार्च) के अनुसार बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के जिला नुश्की में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। इस हमले में कम-से-कम 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इस हमले की निंदा की है। एक अन्य समाचार के अनुसार आतंकवादियों ने कलात जिले में सात पंजाबी मजदूरों की हत्या कर दी है।

एतेमाद (25 मार्च) के अनुसार बीवाईसी की प्रमुख डॉ. महरंग बलूच सहित 150 लोगों के खिलाफ देशद्रोह और हिंसा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों के शवों को जबरन ले जाने की कोशिश की थी, जिसे सेना ने विफल बना दिया। समाचारपत्र के अनुसार महरंग बलूच की अपील पर बलूचिस्तान के अनेक हिस्सों में पूर्ण हड़ताल रही। क्वेटा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़पें हुईं। इसके बाद सेना ने कम-से-कम सात लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की इस फायरिंग के खिलाफ डॉ. महरंग बलूच, डॉ. साबिहा बलूच और डॉ. शाली बलूच के नेतृत्व में धरना दिया गया। इस पर सेना ने महरंग बलूच सहित 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

कौमी भारत (28 मार्च) के अनुसार 32 वर्षीय महरंग बलूच 2018 से बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्षशील हैं। उनके पिता भी बलूचिस्तान की आजादी के समर्थक थे। 2009 में पाकिस्तानी सेना ने महरंग के पिता का अपहरण कर लिया था। इसके बाद 2011 में उनके पिता की लाश सड़क पर पड़ी मिली। महरंग बलूच की गतिविधियों से चिढ़कर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने उनके भाई का भी अपहरण कर लिया था। बाद में उन्हें मरणासन्न अवस्था में रिहा कर दिया गया।

एतेमाद (18 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान सरकार यह आरोप लगा रही है कि भारत सरकार बलूचों को आतंकवाद के लिए भड़का रही है। हालांकि, भारत सरकार इस आरोप का खंडन कर चुकी है। बलूचों का दावा है कि वे पंजाबियों और चीनियों द्वारा बलूचों के शोषण को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि विदेशियों के इशारे पर मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की एकता को खंडित करने हेतु अशांति फैला रहे हैं।

कौमी भारत (27 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा बलूचों के उत्पीड़न के खिलाफ बलूच नेशनल मूवमेंट की ओर से नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर धरना दिया। नीदरलैंड स्थित बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष अब्दुल रहीम, उपाध्यक्ष वाहिद बलूच और महासचिव माहिरा बलूच सहित कई नेताओं ने इस प्रदर्शन को संबोधित किया। इन प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी दूतावास को एक ज्ञापन भी भेजा। इस ज्ञापन में मांग की गई कि पाकिस्तान सरकार बलूचों व पश्तूनों का उत्पीड़न फौरन बंद करे और जेलों में बंद सभी बलूच कैदियों को रिहा करे।

पाकिस्तान में रसूल की तौहीन के आरोप में पांच लोगों को मौत की सजा

सहाफत (28 मार्च) के अनुसार रावलपिंडी की एक अदालत ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में एक आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोप में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों को पाकिस्तान दंड संहिता और इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई है। हाल ही में पाकिस्तान में रसूल की तौहीन की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। ईशनिंदा पर कानूनी आयोग के एक वकील राव अब्दुर रहीम के अनुसार इन आरोपियों को कुरान का अपमान करने और धार्मिक भवनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों में चार पाकिस्तानी नागरिक के अतिरिक्त एक अफगान नागरिक भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के लोकप्रिय यूट्यूबर रजब बट पर ईशनिंदा और साइबर अपराध कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि उनके परफ्यूम ब्रांड के लॉन्च से पाकिस्तान के कट्टरपंथियों में गुस्सा था। अतिवादी इस्लामिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के दबाव पर पुलिस ने रजब बट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि रजब बट ने परफ्यूम लॉन्चिंग में कथित तौर पर पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून का मजाक उड़ाया था। उल्लेखनीय है कि रजब बट ने इस परफ्यूम लॉन्चिंग का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकांउट पर अपलोड किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया था। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद रजब बट पाकिस्तान से फरार होकर सऊदी अरब चले गए थे। वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी करके माफी भी मांगी थी। लाहौर पुलिस ने कहा कि रजब बट के पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वे वापस नहीं आते तो पाकिस्तान सरकार सऊदी अरब सरकार से अनुरोध करेगी कि वह आरोपी को पाकिस्तान सरकार के हवाले कर दे।

चट्टान (23 मार्च) के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने देश में रसूल और इस्लाम की तौहीन के बढ़ते हुए मुकदमों को देखते हुए अदालतों को यह निर्देश दिया है कि वे ऐसे मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर करें, क्योंकि अदालत के पास इस संदर्भ में कई शिकायतें आई हैं कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण लोगों को इस मामले में झूठा फंसाया जाता है। उल्लेखनीय है कि तीन महिलाओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इस मामले की जांच की जिम्मेवारी पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग को सौंपी गई थी। गुप्तचर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन गवाहों ने अदालत में गवाहियां दी थीं वे अब अपने बयान से मुकर गए हैं। अदालत ने कहा है कि यह एक गंभीर समस्या है।

हिंदुस्तान (30 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के शेखूपुरा में एक 22 वर्षीय ईसाई नागरिक वकास मसीह पर उसके एक सहकर्मी ने हमला किया और उसका गला काट दिया। गंभीर रूप से घायल वकास मसीह को लाहौर के मेयो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमलावर ने आरोप लगाया कि वकास मसीह ने कुरान के कुछ पृष्ठों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, इसलिए उसने उस पर हमला किया था। पीड़ित के वकील ने आरोप लगाया कि वकास मसीह का उसके कार्यालय में काम करने वाले साथियों के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था और उन्होंने बदला लेने के लिए उस पर हमला किया। बाद में उसे फंसाने के लिए उसके खिलाफ कुरान की तौहीन का झूठा केस दर्ज करा दिया। पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के महासचिव जोसेफ जेनसन ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में ईसाइयों को जानबूझकर झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे इस्लाम स्वीकार करें।

पाकिस्तान से आठ लाख अफगानों का निष्कासन

उर्दू टाइम्स (18 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया था कि वह अफगान नागरिकों के निष्कासन अभियान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसे मानने से इंकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया कि हमने अफगानिस्तान सरकार को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि पाकिस्तान सरकार अगले महीने से पाकिस्तान में रहने वाले 15 लाख अफगान घुसपैठियों को निष्कासित करेगी। पाकिस्तानी फेडरल मंत्रालय ने पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिकों के सिटीजन कार्ड को रद्द करने का फैसला किया है। ऐसे कार्ड होल्डरों की संख्या आठ लाख से भी अधिक बताई जाती है। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों, पुलिस और अर्धसैनिक संगठन के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिकों का पता लगाकर उन्हें नजरबंदी शिविरों में भेजें ताकि उन्हें पाकिस्तान से निष्कासित किया जा सके।

पाकिस्तान सरकार के सूत्रों के अनुसार इस समय पाकिस्तान में 40 लाख अफगान नागरिक रह रहे हैं। अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के दौरान इन अफगान नागरिकों ने अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में शरण ली थी। अफगान सरकार का दावा है कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगान मूल के लोग घुसपैठिए नहीं हैं। वे अफगान मूल के ऐसे नागरिक हैं, जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे और उनके परिवार पाकिस्तान के निर्माण के पहले से ही वहां पर रह रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने डूरंड लाइन को सीमा रेखा के रूप में अफगानिस्तान पर

जबरन थोपा था, जिसे अफगानिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान के निर्माण से पहले ही डूरंड लाइन को सीमा रेखा के रूप में मान्यता दे चुकी है। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकवादी हमलों के पीछे अफगान सरकार का हाथ है और उसने आतंकवादियों को अपने देश में शरण दे रखी है।

बांग्लादेश में रोहिंग्या नेता गिरफ्तार

अवधनामा (20 मार्च) के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के 48 वर्षीय प्रमुख अताउल्लाह अबू अम्मार जुनूनी को ढाका से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रत्युष कुमार मजूमदार ने मीडिया को बताया कि अताउल्लाह पर हत्या करने और बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप है। इससे पहले चार अन्य रोहिंग्या नेताओं को जिला मैमनसिंह से गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के बाद अताउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर कैयूम खान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों को मैमनसिंह जिले की एक अदालत में पेश किया गया था। उन पर हत्या, दंगे भड़काने और बांग्लादेश में अवैध घुसपैठ करने का आरोप है। अदालत ने इन आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

गौरतलब है कि अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी म्यांमार के रखाइन क्षेत्र को इस्लामिक स्टेट में बदलने हेतु पिछले 10 सालों से अभियान चला रही है। साल्वेशन आर्मी के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि 2016 से म्यांमार की बुद्धिस्ट सेना वहां पर रहने वाले मुस्लिम रोहिंग्याओं के खिलाफ सशस्त्र अभियान चला रही है। अब तक वह 50 हजार रोहिंग्याओं की हत्या कर चुकी है। इसके कारण 15 लाख रोहिंग्याओं को अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार से बांग्लादेश भागना पड़ा था। बाद में बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान शुरू किया तो इनमें से लगभग सात लाख लोग अन्य देशों में घुसपैठ कर गए। प्रवक्ता ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इंकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त उनके कारोबार और नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वे पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी विभाग से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं।

बांग्लादेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी सेना के गुप्तचर विभाग के तीन अधिकारियों की हत्या करने के आरोप में अबू अम्मार और उसके साथियों को पकड़ा गया है। सरकारी प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ये रोहिंग्या शरणार्थी मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण व अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं और बांग्लादेश में अशांति फैला रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (22 मार्च) के अनुसार बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश

तेजी से भड़क रहा है। छात्र देशभर में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देश में खाद्य संकट भीषण रूप ले चुका है और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की सेना का एक वर्ग यूनुस सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास कर रहा है। नेशनल सिटीजन पार्टी की अपील पर देशभर में प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने दावा किया कि ढाका विश्वविद्यालय में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के पीछे एक पड़ोसी देश का हाथ है। यह देश चाहता है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से अवामी लीग की सरकार बने।

उर्दू टाइम्स (22 मार्च) के अनुसार बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार ईद के मौके पर नौ दिन का सरकारी अवकाश घोषित किया गया है।

उर्दू टाइम्स (18 मार्च) के अनुसार हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया है। उन्होंने बांग्लादेश के वर्तमान संकट को सुलझाने के लिए चीन से सहयोग मांगा है।

हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्र अमेरिका से निष्कासित

सहाफत (21 मार्च) के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने वाशिंगटन के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय मूल के एक छात्र बदर खान सूरी को अमेरिका से निष्कासित करने की घोषणा की है। अमेरिकी सरकार ने यह आरोप लगाया है कि सूरी अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, इसलिए उसे अमेरिका से निष्कासित करना बेहद जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने 17 मार्च को बदर खान सूरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार प्रशासन ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि बदर खान सूरी का हमास से नजदीकी संबंध है। वह सोशल मीडिया पर हमास का प्रचार कर रहा है और यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना भड़का रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि सूरी की अमेरिका विरोधी गतिविधियों

को देखते हुए सरकार ने उसे देश से निष्कासित करने का फैसला किया है। सूरी के वकील ने अदालत को बताया कि सूरी ने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। वह छात्र वीजा पर अमेरिका में रह रहा है और उसने अमेरिका की रहने वाली मफाज यूसुफ सालेह से निकाह किया है। सालेह मूल रूप से गाजा की रहने वाली है।

गौरतलब है कि ट्रम्प प्रशासन ने यह घोषणा की है कि जो विदेशी नागरिक हमास के इजरायल पर हमले के समर्थन में हैं और जिन्होंने अमेरिका में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया है उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया जाएगा। मानवाधिकार संगठनों ने बदर खान को अमेरिका से निष्कासित करने का विरोध करते हुए कहा है कि यह अमेरिका की सेक्युलर नीति के खिलाफ है। जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सूरी विश्वविद्यालय के अलवलीद बिन तलाल सेंटर फॉर मुस्लिम-क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग विभाग में पोस्टडॉक्टरल फेलो है। प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि सूरी अमेरिका विरोधी गतिविधियों में भाग लेता रहा है।

कौमी भारत (30 मार्च) के अनुसार बदर खान सूरी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। उसके परिवारजनों ने संवाददाताओं को बताया कि बदर खान अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिकी सरकार ने उसे अपने देश से निष्कासित करने का फैसला किया है।

सहाफत (22 मार्च) के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस मामले में अमेरिकी सरकार या किसी भारतीय नागरिक ने विदेश मंत्रालय से कोई संपर्क नहीं किया है। मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि एक भारतीय नागरिक को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। एक संवाददाता ने एक अन्य भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का अमेरिकी वीजा रद्द किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार ने इस महिला छात्रा का वीजा इसलिए रद्द कर दिया है, क्योंकि उसने फिलीस्तीन के समर्थन में अमेरिका में हुए प्रदर्शनों में भाग लिया था। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक वीजा या इमिग्रेशन नीति का सवाल है यह संबंधित विदेशी सरकार की नीति का मामला है। हम यह आशा करते हैं कि जब हमारे नागरिक विदेश में रहें तो उन्हें वहां के सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए।

तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन

उर्दू टाइम्स (21 मार्च) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के धुर विरोधी और इस्तांबुल के महापौर एक्रेम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की की विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) ने उन्हें आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। विदेशी मीडिया के अनुसार गुप्तचर विभाग ने एक्रेम इमामोग्लू को उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति एर्दोगान के आदेश पर देशभर के 100 प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें नेता, पत्रकार और व्यवसायी भी शामिल हैं। इमामोग्लू ने कहा कि तानाशाह जनता को दबा नहीं पाएगा।

इससे पहले तुर्की सरकार ने इमामोग्लू की डिग्री को फर्जी घोषित कर दिया था। उन पर आरोप लगाया गया है कि उनकी शैक्षणिक डिग्री फर्जी है। इस संबंध में उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तुर्की के संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धोखाधड़ी का आरोप हो तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इन गिरफ्तारियों के बाद पूरे देश में जनाक्रोश भड़क उठा है। सेना ने अब तक तीन हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महिलाएं और छात्र भी शामिल हैं। सरकार ने प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन जनता इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन कर रही है। तुर्की में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुंसिफ (24 मार्च) के अनुसार तुर्की की एक अदालत ने इस्तांबुल के महापौर एक्रेम इमामोग्लू को जेल भेज दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार इमामोग्लू सहित 50 अन्य लोगों को भी जेल में बंद कर दिया जाए। इन आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के मामले की जांच की जा रही है। जब तक यह जांच पूरी नहीं होगी

आरोपी को जेल में रखा जाएगा। गौरतलब है कि तुर्की में 2028 में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। इमामोग्लू के वकील ने संवाददाताओं को बताया कि इमामोग्लू के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अपने विरोधी को चुनावी मैदान से हटाने के लिए इस तरह के तानाशाही हथकंडे अपना रहे हैं और न्यायपालिका न्याय करने के बजाय एर्दोगान का समर्थन कर रही है।

तुर्की के गृह मंत्री अली येर्लिकाया ने आरोप लगाया है कि देशभर में हो रहे प्रदर्शनों के पीछे तुर्की के दुश्मनों का हाथ है। विदेशी मीडिया के अनुसार तुर्की के 81 प्रांतों में से 55 में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार इन पर नियंत्रण पाने में विफल रही है। देशभर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं। इन झड़पों में हजारों लोग घायल हो गए हैं। सरकारी वकील ने यह दावा किया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक समाचार और वीडियो वायरल करने के आरोप में 130 यूट्यूबरों और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। तुर्की की स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस और गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों ने जेल में बंद इमामोग्लू से चार घंटे तक पूछताछ की है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि 2013 के बाद से तुर्की में इस तरह के सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघ ने दावा किया है कि दो दर्जन से अधिक पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है। ये पत्रकार प्रदर्शनों के समाचारों को कवरेज कर रहे थे। उनसे उनके कैमरे छीन लिए गए हैं। पत्रकार संघ ने दावा किया है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शामिल 180 देशों में से तुर्की 158वें स्थान पर है। पत्रकार संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन पत्रकारों को विरोध प्रदर्शन से संबंधित समाचारों को कवरेज करते हुए गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरन रिहा किया जाए। पत्रकार संघ के बयान पर टिप्पणी करते हुए तुर्की के न्याय मंत्री ने कहा है कि तुर्की में मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित रिपोर्ट फर्जी है और इसका उद्देश्य तुर्की सरकार को बदनाम करना है।

कौमी तंजीम (31 मार्च) के अनुसार इमामोग्लू के वकील मेहमद पेहलिवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की पत्रकार संघ ने आरोप लगाया है कि पुलिस और गुप्तचरों ने एक दर्जन महिला रिपोर्टरों को भी उनके घरों पर आधी रात को छापा मारकर गिरफ्तार किया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में पत्रकारों ने धरना दिया है। स्वीडन के एक पत्रकार को तुर्की में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। स्वीडिश अखबार 'डेगेंस ईटीसी' ने आरोप लगाया है कि उसके पत्रकार जोआकिम मेडिन को तब गिरफ्तार किया गया जब वे विरोध प्रदर्शनों के समाचारों को कवर कर रहे थे। जबकि तुर्की के सरकारी प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने समाचारों के कवरेज में राष्ट्रपति एर्दोगान का अपमान किया था और उनका संपर्क सशस्त्र आतंकवादी समूहों से है। इस अखबार के मुख्य संपादक ने कहा है कि उनके पत्रकार पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और

झूठे हैं। तुर्की सरकार ने इस पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि प्रदर्शनकारियों को कुचलने हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए तानशाही तरीकों का पर्दाफाश न हो सके। तुर्की के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए पत्रकारों में से 11 को रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वालों में अधिकांश विदेशी पत्रकार हैं। इस्तांबुल बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि तुर्की पुलिस ने भारी संख्या में किशोरों को गिरफ्तार किया है और बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया है।

अवधनामा (2 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विपक्षी पार्टी सीएचपी ने एक्रेम इमामोग्लू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया था। इससे एर्दोगान को अपनी गद्दी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। रजब तैयब एर्दोगान पिछले दो दशक से सत्ता में हैं। वे जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। 2016 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत की थी। एर्दोगान ने इस बगावत को कुचल दिया था। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और करेंसी के अवमूल्यन के कारण जनता का एर्दोगान से मोहभंग हो चुका है। एर्दोगान अपनी कुर्सी खोना नहीं चाहते, इसलिए वे संविधान में संशोधन करने पर भी विचार कर रहे हैं। तुर्की के वर्तमान संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, इसलिए एर्दोगान इमामोग्लू से भयभीत हैं। हालांकि, राष्ट्रपति के चुनाव में अभी तीन साल बाकी हैं, लेकिन उन्हें यह भय है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा इमामोग्लू जनता में लोकप्रिय होते जाएंगे। इसी को देखते हुए एर्दोगान किसी भी तरह से इमामोग्लू को देश की राजनीति से दूर करना चाहते हैं ताकि वे भविष्य में उनके लिए खतरा न बन सकें।

सूडान की राजधानी खार्तूम पर सेना का कब्जा

सहाफत (22 मार्च) के अनुसार पिछले एक दशक से सूडान में चल रहे गृहयुद्ध ने अब एक नया मोड़ लिया है। चार दिन के भीषण युद्ध के बाद सूडानी सेना रिपब्लिकन पैलेस को अपने नियंत्रण में लेने में सफल हुई है। रिपब्लिकन पैलेस राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस पर पिछले दो सालों से विरोधी संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने कब्जा कर रखा था। इस संबंध में सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के अनुसार मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल-बिलावी के नेतृत्व में सूडानी सेना आरएसएफ के मुख्यालय पर कब्जा करने में सफल रही है। सूडानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि आरएसएफ के मुख्यालय को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेना ने देश की राजधानी खार्तूम में स्थित अन्य सभी सरकारी भवनों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। आरएसएफ के लड़ाके खार्तूम से भागकर एक दूसरे शहर ओमडुरमैन चले गए हैं। सूडानी सेना ने ओमडुरमैन के रास्ते में आने वाले अनेक पुलों पर कब्जा कर लिया है और वह तेजी से ओमडुरमैन की ओर बढ़ रही है। न्यूज एजेंसी 'अल अरेबिया' के

सभी महत्त्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। इनमें सूडान का केंद्रीय बैंक, राष्ट्रीय संग्रहालय, सेना मुख्यालय और खुफिया मुख्यालय शामिल हैं। पोर्ट सूडान में आरएसएफ के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महजूब बुशरा ने यह दावा किया है कि उनकी सेना शीघ्र ही खार्तूम पर फिर से कब्जा कर लेगी।

अनुसार सेना ने देश के दो तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने घोषणा की है कि एक सप्ताह के अंदर विरोधी संगठन आरएसएफ का खात्मा कर दिया जाएगा। सूडान का उत्तर और पूर्वी क्षेत्र पहले से ही सूडानी सेना के कब्जे में है। अब उसने राजधानी खार्तूम और मध्य सूडान के बड़े क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर, पश्चिमी क्षेत्र दारफुर पर अभी तक विरोधी संगठन आरएसएफ का कब्जा है।

इंकलाब (1 अप्रैल) के अनुसार सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान सऊदी अरब पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पर सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और सूडान की ताजा स्थिति पर विचार-विमर्श किया है।

हिंदुस्तान (25 मार्च) के अनुसार सूडान के विदेश मंत्री अली यूसुफ ने 'अल अरेबिया' को बताया कि वे सूडान के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता के लिए सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत और कतर से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएफ ने सूडान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है।

रोजनामा सहारा (23 मार्च) के अनुसार सूडानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला ने दावा किया है कि सेना ने देश के

गौरतलब है कि अप्रैल 2023 से शुरू हुए गृहयुद्ध में 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं और एक करोड़ 20 लाख लोग सूडान से भागकर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं।

सियासत (28 मार्च) के अनुसार सूडानी सेना ने दावा किया है कि सेना ने राजधानी खार्तूम स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और आरएसएफ के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-बुरहान ने खार्तूम का दौरा किया है। यहां पर उन्होंने सूडानी सेना को संबोधित किया।

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार आरएसएफ के प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो ने स्वीकार किया है कि उनकी सेना ने राजधानी खार्तूम को खाली कर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध अभी जारी है। हमारी सेना ओमडुरमैन पर अभी काबिज है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे सूडान की राजधानी पर फिर से कब्जा कर लेंगे।

पृष्ठभूमि : गौरतलब है कि सूडान की जनसंख्या लगभग पांच करोड़ है। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अरब मुसलमान हैं। सूडान में सोना, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट आदि के विशाल भंडार हैं। वहीं, दक्षिण सूडान को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने अलग देश घोषित कर रखा है। दक्षिण सूडान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ छह प्रतिशत है। शेष आबादी ईसाइयों की है। सूडान का यह दुर्भाग्य है

कि पिछले 30 सालों से वहां पर गृहयुद्ध जारी है। इस गृहयुद्ध में अब तक कम-से-कम 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं और लगभग सवा करोड़ लोग बेघर हुए हैं।

सूडान में मई 1986 से लेकर जून 1989 तक अहमद अल-मिरघानी सत्तारूढ़ थे। 1989 में सूडानी सेना के तत्कालीन प्रमुख उमर अल-बशीर ने विद्रोह कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। वे 30 सालों तक एक तानाशाह के रूप में सूडान पर शासन करते रहे। इसके बाद उनकी तानाशाही के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा। सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों और हड़तालों के कारण सूडान में 2019 में सैन्य क्रांति हुई और सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने सहयोगी और आरएसएफ के सेनापति जनरल मोहम्मद हमदान दगालो को उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में सत्ता पर कब्जे को लेकर इन दोनों दोस्तों के बीच संघर्ष छिड़ गया और तब से यह संघर्ष जारी है। सूडान अब दो गुटों में बंट चुका है। दोनों गुट सेना की सहायता से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस गृहयुद्ध के कारण सूडान में भीषण खाद्य संकट है।

सऊदी अरब में उमरा पैकेज की कीमतों में भारी वृद्धि

सियासत (24 मार्च) के अनुसार रमजान के दौरान उमरा करने वालों की भारी भीड़ को देखते हुए विमान परिचालन कंपनियों और होटलों ने अपने-अपने शुल्क में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसके अतिरिक्त सऊदी सरकार ने भी उमरा वीजा की कीमत में वृद्धि की है। सऊदी सरकार के सूत्रों के अनुसार इस साल उमरा करने के लिए सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ मुसलमानों के सऊदी अरब पहुंचने की संभावना है। उमरा करने हेतु सऊदी अरब गए लोगों ने बताया कि उमरा के खर्च में दो हजार से पांच हजार रियाल तक की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उमरा करने हेतु 25 प्रतिशत अधिक लोगों के सऊदी अरब आने की संभावना है।

सियासत (28 मार्च) के अनुसार शब-ए-बारात के दिन मक्का स्थित मस्जिद अल-हरम में 50 लाख लोगों ने नमाज अदा की। मस्जिद के इमाम शेख बद्र बिन मुहम्मद अल-तुर्की ने नमाज पढ़ाई। दूसरी ओर, मस्जिद-ए-नबवी में तरावीह की नमाज शेख मुहम्मद बिन अहमद बरहाजी ने पढ़ाई। नामाजियों की सुरक्षा के लिए 50 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे।

रोजनामा सहारा (29 मार्च) के अनुसार रमजान के दौरान सऊदी सरकार ने मक्का और मदीना में 65 हजार लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जबकि एक लाख नमाजियों को विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किया गया। रमजान के दौरान उमरा करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सऊदी सरकार ने एक हजार से अधिक चिकित्सालयों की व्यवस्था की थी। रमजान के दौरान आने वाली भीड़ को देखते हुए मस्जिद अल-हरम में तीसरी बार विस्तार किया गया है ताकि एक समय में एक साथ 25 लाख लोग नमाज अदा कर सकें। भारी भीड़ को देखते हुए मस्जिद में दो दर्जन नए दरवाजे बनाए गए हैं। मस्जिद में 22 नए गुंबद जोड़े गए हैं, जिनमें 12 शीशे के बने हुए हैं। तीसरी मंजिल पर जो केंद्रीय गुंबद बनाया गया है उसकी चौड़ाई 36 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर है। इस गुंबद का वजन 800 टन है। ये गुंबद इस्लामिक वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं।

इंकलाब (23 मार्च) के अनुसार हज विभाग ने मस्जिद-ए-नबवी में दर्शन हेतु आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिदिन 300 टन आब-ए-जमजम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। हर यात्री को आब-ए-जमजम की दो-दो बोतलें मुफ्त दी जाएंगी।

ईद के दौरान गाजा पर इजरायली हमले

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार इजरायल ने ईद के मौके पर भी गाजा के अनेक क्षेत्रों पर हवाई और जमीनी हमले किए हैं। इन ताजा हमलों में कम-से-कम दो हजार लोग मारे गए हैं। जबकि ईद के दिन हुई बमबारी में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने और 500 लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। कतर के टेलीविजन चैनल 'अल जजीरा' के अनुसार इजरायली बमबारी में अब तक 50 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं, घायलों की संख्या ढ़ाई लाख बताई जाती है। दूसरी ओर, गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार 61 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों शव मलबे में दबे हुए हैं। इन शवों को अभी तक निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ईद-उल-फितर के मौके पर हमास ने दुनियाभर के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे गाजा के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर मदद करें और दुनियाभर के मुसलमान फिलिस्तीनियों का खुलकर समर्थन करें। हमास ने दावा किया है कि जब तक एक भी फिलिस्तीनी जीवित है तब तक इजरायल के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा।

उर्दू टाइम्स (25 मार्च) के अनुसार इजरायल ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में 50 लोग मारे गए हैं। वहीं, इजरायल सरकार ने दावा किया है कि उसने यह हमला हमास के एक अड्डे को तबाह करने के लिए किया था।

हिंदुस्तान (25 मार्च) के अनुसार हमास ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में उसके 16 उच्च कमांडर मारे गए हैं।

इंकलाब (28 मार्च) के अनुसार इजरायली सेना की ओर से गाजा पट्टी पर निरंतर हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के प्रवक्ता अब्देल लतीफ अल-कनौआ के घर पर बमबारी की। इस बमबारी में अब्देल लतीफ अपने परिवार सहित मारे गए हैं। इजरायल की ताजा बमबारी के कारण डेढ़ लाख फिलिस्तीनियों को अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है।

नाइजर में मस्जिद पर आतंकवादी हमला

इंकलाब (23 मार्च) के अनुसार अफ्रीकी देश नाइजर में इस्लामिक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ग्रेटर सहारा (आईएसजीएस) के आतंकवादियों ने एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर हमला करके कम-से-कम 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस हमले में 130 लोग घायल हो गए हैं। सरकार ने इस हमले में मारे जाने वाले लोगों के लिए तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।

नाइजर के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले एक बयान में दावा किया गया है कि यह हमला कोकोरो नामक शहर में एक मस्जिद पर किया गया है। यह हमला उस समय किया गया जब लोग जुमा के दिन मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने इस मस्जिद को घेर लिया। इससे पहले हमलावरों ने पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया। जब लोग अपने जलते हुए घरों से जान बचाने के लिए बाहर भागे तो उन पर गोलियां चलाई गईं। इस गोलीबारी में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। यह कस्बा बुर्किना फासो और माली की सीमा के समीप स्थित है। यहां पर पिछले एक दशक से आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकवादी सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में सरकारी सेना की आतंकवादियों से झड़पें होती रहती हैं। सरकार का दावा है कि आतंकवादी पिछले एक साल में साढ़े तीन हजार नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। जबकि सरकारी सेना ने लगभग 500 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

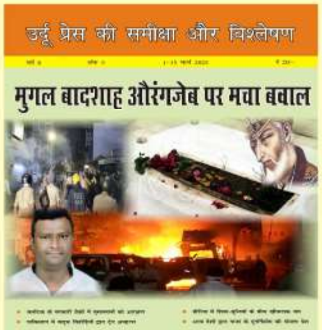

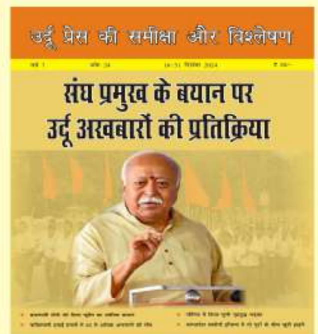

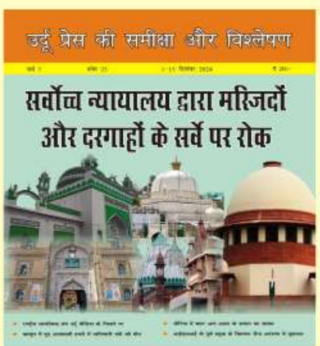

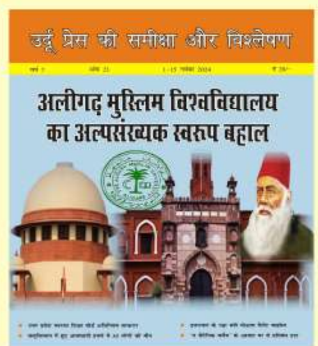

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in